



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240681  
CG-DL-E-01122022-240681

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]  
No. 618]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

सं. सीओ-99/1/2022-पीसीपी-एचओ-सीपीसीबी-एचओ.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्वारा, उस समिति का पुनर्गठन करता है, जिसका गठन संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के संबंध में दिनांक 10.03.1992 के एस.ओ. 787(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। पुनर्गठित समिति निम्नवत् है:-

1.	सरकार के सचिव, (विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण), पुडुचेरी सरकार	अध्यक्ष
2.	निदेशक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
3.	उद्योग और वाणिज्य निदेशक, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
4.	स्थानीय प्रशासन विभाग के निदेशक, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
5.	परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
6.	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा विभाग, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
7.	आयुक्त, औलगरेट नगर पालिका, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
8.	चिकित्सा अधीक्षक (संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयुक्त नामकरण के अनुसार)	सदस्य

9.	उप महानिदेशक वन (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, अथवा उनके नामिती	सदस्य
10.	डॉ. एस. सुरेंद्र, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), पुडुचेरी	विशेषज्ञ सदस्य
11.	डॉ. एम. पी. रामानुजम, सलाहकार-सेम्पदुगई नन्निरागम	विशेषज्ञ सदस्य
12.	डॉ. आर. सरवणने, प्रोफेसर और निदेशक (आईपीआर), सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पुडुचेरी, तकनीकी विश्वविद्यालय	सदस्य
13.	सदस्य सचिव (या) उनके नामित, सीपीसीबी, दिल्ली	सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक, पुडुचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम (पीआईपीडीआईसी), पुडुचेरी सरकार	सदस्य
15.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडुचेरी सरकार	सदस्य सचिव

और,

- (i) इस समिति को पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।
- (ii) यह समिति उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो मूल अधिसूचना, का.आ. 787(अ), दिनांक 10.03.1992 के द्वारा समिति को प्रत्यायोजित की गई थी।
- (iii) यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- (iv) भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 787(अ), दिनांक 10.03.1992 और का.आ. 777(अ), दिनांक 19.07.1995 को विखंडित किया जाता है।

तन्मय कुमार अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो.

[विज्ञापन-III/4/असा./437/2022-23]

**नोट :** मूल अधिसूचना का. आ. 777(अ) दिनांक 19.07.1995 द्वारा संशोधित की गई थी और समिति का नाम फा. संख्या विधि 158(4)/90, दिनांक 01.01.2008 के द्वारा परिवर्तित किया गया था।

## CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

**No. CO-99/1/2022-PCP-HO-CPCB-HO.**—In exercise of the powers conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), the Central Pollution Control Board hereby reconstitutes the Committee as specified by the Central Government whose constitution was notified by a Notification published in the Gazette of India vide S.O.787 (E) dated 10.03.1992 in respect of the Union Territory (UT) of Puducherry. The reconstitution of the Committee is as follows:

1.	Secretary to Government, (Science Technology and Environment), Government of Puducherry	Chairman
2.	Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry	Member
3.	Director of Industries & Commerce, Government of Puducherry	Member
4.	Director of Local Administration Department, Government of Puducherry	Member
5.	Transport Commissioner, Transport Department, Government of Puducherry	Member
6.	Director, Department of Health and Family Welfare Services,	Member

	Government of Puducherry	
7.	Commissioner, Oulgaret Municipality, Government of Puducherry	Member
8.	Medical Superintendent (as per Nomenclature used in UTs)	Member
9.	Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, integrated Regional Office, Chennai, or his/her nominee	Member
10.	Dr. S. Surender, Chairman, Confederation of Indian Industry (CII), Puducherry	Expert Member
11.	Dr. M. P. Ramanujam, Consultant-Sempadugai Nanneeragm	Expert Member
12.	Dr. R. Saravanane, Professor & Director (IPR), Department of Civil Engineering, Puducherry, Technological University.	Member
13.	Member Secretary (or) his nominee, CPCB, Delhi	Member
14.	Managing Director, Puducherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation (PIPDIC), Government of Puducherry	Member
15.	Senior Environmental Engineer, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry	Member Secretary

And,

- (i) This Committee may be called as Puducherry Pollution Control Committee.
- (ii) This Committee shall exercise all the powers which were delegated to the Committee vide Principal Notification, S.O.787 (E), dated 10.03.1992.
- (iii) The Notification shall come into force with immediate effect.
- (iv) The Notification published in the Gazette of India vide S.O.787 (E), dated 10.03.1992 and S.O. 777 (E), dated 19.07.1995 stands rescinded.

TANMAY KUMAR, Chairman, CPCB

[ADVT.-III/4/Exty./437/2022-23]

**Note:-** The Principal Notification was amended vide S.O.777 (E), dated 19.07.1995, and name of the committee was changed vide No. Legal 158(4)/90, dated 01.01.2008.